

मु.न. 114/24 लक्ष्मीनारायण / कन्हैयालाल

वार एसी. स्थगन
26-6-25 फत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.
P.O. साहय कर/अवकाश पर पधारे है।
अतः फत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
..... 21-8-25..... को पेश हो कि

21-8-25 फत्रावली पेश हुई वकील आधी अनुपस्थित।
बार-बार आवाज दिलवाई गयी बार-बार
आवाज दिलवाने के बावजूद आधी व
वकील आधी में से कोई उपस्थित नहीं। अतः
आधी का आर्थना - फत्र अदम हाजरी। अदम
फैसली में खारिज किया जाता है।

फत्रावली फैसला बुझा देकर नम्बर
से कम हो।

५५
उपखण्ड अधिकारी
रूपनागढ़ (अजमेर)